## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 66 / 2020

प्रार्थीगणः–

1. खमू पुत्र इब्राहिम
2. सरादीन पुत्र इब्राहिम
3. आरू खा पुत्र मजीनखा
4. हसन खा पुत्र मजीन खां
5. अकू खां पुत्र रमजान खां
6. सतार खां पुत्र रमजान खां
7. केसर पत्नि फतू खां

जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

**बनाम**

विप्रार्थीगणः–

1. ठाकराराम पुत्र जैसाराम
2. कोजाराम पुत्र धर्माराम
3. पूराराम पुत्र धर्माराम
4. देवाराम पुत्र जैसाराम
5. रामाराम पुत्र जीयाराम जाति जाट
6. बाबूलाल पुत्र ताराचन्द
7. मूलचन्द पुत्र भंवरलाल जाति महाजन
8. कासम खां पुत्र कोजा खां
9. मांजी खां पुत्र कोजा खां
10. सुमार खां पुत्र कोजा खां

    जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा मालपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

11. तहसीलदार गुडामालानी

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थितः–

1. श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

### –:: आदेश ::–

दिनांक :– 1-1-21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena

Date: 2025.03.05 16:30:38 IST

Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूला[illegible] एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अव[illegible] किया। [illegible] प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद [illegible] मण्डल मालपुरा तहसील गुडामालानी के [illegible] 04 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा धोलपालिया नाडा पटवार मण्डल मालपुरा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 461 रकबा 173–04 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 1·1·21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

( सुनील कुमार )
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kur
Meena
Date: 2025.03.05 16:30:38 IST
Reason: SelfAttested